भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 219

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

झूठे सम्मान के लिए किए जाने वाले अपराध

219. श्रीमती किरण खेर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का झूठे सम्मान के लिए किए जाने वाले अपराधों की पृथक श्रेणी के अपराध के रूप में मान्यता देने और विनिर्दिष्ट करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "प्रोहिबिशन ऑफ इन्टरफिरीऐन्स विद द फ्रिडम आफ मैट्रोमोनियल एलायंस " बिल की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग): "वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की रोकथाम (सम्मान और परम्परा के नाम पर) " के संबंध में विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बिल की अंतिम रुपरेखा तैयार करने के लिए राज्य-स्तरीय परामर्श किए हैं।

*****